

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
तार : यूनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क.स.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2026-27/725

दिनांक:- 25 AUG 2026

//अधिसूचना//

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 402/264/83/आउशि/शाखा-5 'अ'/2014 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015 के अनुपालन में एवं प्रति वर्षानुसार रैगिंग पर अकुश लगाने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है -

- | | | |
|--|---|--------|
| 1/ प्रो. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, देअवि.वि, इन्दौर | - | संयोजक |
| 2/ प्रो. सचिन शर्मा, निदेशक महा. विकास परिषद् देअवि.वि, इन्दौर | - | सदस्य |
| 3/ प्रो. गीता नेमा, आई.आई.पी.एस., देअवि.वि, इन्दौर | - | सदस्य |
| 4/ प्रो. सखाराम मुजाल्दे, जनजाति विभाग/अर्थशास्त्र अ.शा., देअवि.वि, इन्दौर | - | सदस्य |
| 5/ कुलसचिव/उ.कु.स./सहा. कुलसचिव-प्रशासन विभाग | - | सदस्य |

नोट :- उक्त अधिसूचना को सूचना पटल पर चरपा कर समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करें।

आदेशानुसार

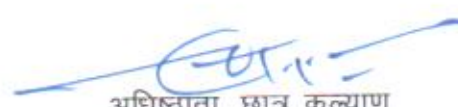

कुलसचिव

पृष्ठांक स.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2026-27/725

दिनांक:-

25 AUG 2026

- 1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, सतपूडा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
- 2/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर रांगाग, मोती तबेला, इन्दौर।
- 3/ उक्त समस्त संबंधित सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
- 4/ कुलगुरुजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, देअ.वि.वि., इन्दौर।
- 5/ प्राचार्य/निदेशक/संचालक, वि.वि. से संबंध समस्त महाविद्यालय, जिला-धार, झाबुआ, इन्दौर/विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ, देअ.वि.वि., इन्दौर।
- 6/ आई.टी. सेन्टर, वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण